न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),

जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
04 / 2020	10 / 01 / 2020	16 / 05 / 2022

—उनवान —

1. अशोक पुत्र भंवरलाल
2. दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल
3. कचंन पुत्री भंवरलाल
4. सुशिला पुत्री भंवरलाल

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर हाल निवासी सी—104, पानीपेच , झोटवाडा रोड, नेहरू नगर जयपुर राजस्थान।

..............वादीगण

बनाम

1. कमला पत्नि भोमराज
2. ज्याना पत्नि जुगलकिशोर
3. कालूराम पुत्र मांगीलाल
4. हरिनारायण पुत्र झूथाराम

समस्त आयु वयस्क , समस्त जाति मीना , समस्त निवासीयान ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

......................**प्रतिवादीगण**

सहायक ... (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जयपुर

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा :— वकील वादीगण

श्री रामकरण शर्मा :— वकील प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 घोषणा , बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी 614 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.4800 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ में स्थित हैं जिसमें वादीगण कि माता प्रभाती देवी पत्नि भंवरलाल एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 सहखातेदार हैं। वादीगण कि माता प्रभाती देवी का स्वर्गवास हो चुका हैं । उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रभातीदेवी के खातेदारी हिस्से कि भूमि के एक मात्र वारीस वादीगण हैं जिसमें वादीगण का विरासती हिस्सा निहित हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण बाबत् घोषणा वादीगण कि माता प्रभातीदेवी के विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में तस्दीक कर वाद वादीगण का बटवारा विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादित आराजी 614 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.4800 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ का सरस — तरस के अनुसार वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें।

अतः दिनांक 11—02—2021 को वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कि जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को कर्रेजात हेतु लिखा गया जिसमे दिनांक 12—05—2022 को आदेशानुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट पेश की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात पर उभयपक्षों को सुना गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तहसीलदार के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

की। तहसीलदार ने बटवारा हिस्से अनुसार किया । अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता खसरा नम्बर 614 , 615, 616 ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला में स्थित हैं का प्राथमिक डिक्री अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	अशोक हिस्सा 1/4, कंचन हिस्सा 1/4, सुशिला हिस्सा 1/4 ,दिनेश कुमार हिस्सा 1/4 पि. भंवरलाल मीणा सा0देह	रामपुरा उर्फ बादियावाला	615/1 614/1	0.2300 0.0900	चाही–3 चाही–3
	कुल खसरा व रकबा		02	0.3200	चाही–3

...................................3

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	कमला पत्नि भोमराज हिस्सा 1/3, कल्याण पि. गोविन्दा हिस्सा 1/9 , कालूराम पि. मांगीलाल हिस्सा 1/9, हरिनारायण पि. झूथाराम हिस्सा 1/9, बिला रहन	रामपुरा उर्फ बादियावाला	614/3 615/2 616	0.2600 0.2200 0.4800	चाही–3 चाही–3 चाही–3

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

	ज्ञाना पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा0देह रहन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा कुकस				
	कुल खसरा व रकबा		03	0.9600	गाही 3

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	शामलाती	रामपुरा उर्फ बादियावाला	614/2	0.0300	गाही 3 गाही 3
	कुल खसरा व रकबा		01	0.0300	गाही 3

मौके पर खातेदारान की उपस्थिती में डिक्री एवं हिस्से अनुसार निम्न प्रकार बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया।

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा टेरा प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज **दिनांक 16मई 2022** को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़